235/24

वसील बाकी उप० नहीं।
नवलीलकर सवाण के रिपोर्ट
प्राप्त हुई, रिपोर्ट का
अवलोकन किया। नवलीलकर
ने अपनी रिपोर्ट में अवैध
कब्जा की मामला न्यायालय
में विचाराधीन है तथा
राजस्व रिकॉर्ड में
स्थगन आदेश नोट होना
जाहिर किया, क्योंकि
वसील बाकी उप० नहीं,
इस कारण उक्त संबंधित
मामले की जानकारी
लिया जाना मुमकिन नहीं।

अतः मा० उप बाकी
अदम 30 राजस्व अदम
पैरवी से खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैसल
शुमार हो कर नवलील
का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.06.19 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
सवाण

Scanned with OKEN Scanner